उत्तर प्रदेश शासन

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

संख्या-1140/14-2-2016-20(2)/2016

लखनऊ: दिनांक: 10 जून, 2016.

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-5380/14-ख-4(27)-70 दिनांक- 10, सितम्बर, 1970 द्वारा नीचे अनुसूची 'क' में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था ;

और चूंकि दावों को प्रस्तुत करने के लिये नियत अवधि व्यपगत हो चुकी है ;

और चूंकि ऐसा कोई दावा स्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु अनुसूची 'ख' में उल्लिखित सीमा तक रियायतें दी गयी हैं, जो राज्य सरकार की इच्छा पर वापस ली जा सकती हैं।

अतएव, अब, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-20 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से अनुसूची 'क' में उल्लिखित भूमि आरक्षित आरक्षित वन होगा।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra